Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 189-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021 (KARTIKA 26, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 नवम्बर, 2021

क्रमांक 491–स०क०(1)2021.– हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम 2016 (2016 का 15) की धारा 2 के खण्ड (घ) तथा धारा 5 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, अधिसूचना संख्या 808–स.क.(1), दिनांक 17 अगस्त, 2016, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, अधिसूचना संख्या 1282–स.क.(1), दिनांक 28 अगस्त, 2018 का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इससे संलग्न अनुलग्नक के अनुसार पिछड़े वर्गों से नवोन्नत व्यक्तियों के निष्कासन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हैं।

अनुलग्नक

क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
1	2	3
I.	सांविधानिक पद / सांविधानिक व्यक्तित्व	निम्नलिखित के पुत्र(त्रों) तथा पुत्री(पुत्रियाँ)– (क) भारत के राष्ट्रपति; (ख) भारत के उप–राष्ट्रपति; (ग) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य; (घ) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक; (ड़) इसी किस्म के सांविधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति; (च) संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य;

क्रम संख्या	प्रवर्ग का वर्णन	जिसे निष्कासन के नियम लागू होंगे
1	2	3
II.	सेवा के प्रवर्ग– (क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के ग्रुप क और ग्रुप ख/श्रेणी–I और II अधिकारी; (ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इत्यादि के कर्मचारी;	निम्नलिखित के पुत्र(त्रों) तथा पुत्री (पुत्रियाँ)– (क) माता–पिता में से एक या दोनों श्रेणी–I अधिकारी (ग्रुप क अधिकारी) अथवा श्रेणी–II अधिकारी (ग्रुप ख अधिकारी) है अथवा हैं; इस प्रवर्ग में ऊपर क में संगणित मानदण्ड, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों में समकक्ष या समतुल्य पदों को धारण करने वाले अधिकारियों को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थाओं में समकक्ष या समतुल्य आधारित पदों का लम्बित मूल्यांकन, नीचे प्रवर्ग V में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों को लागू होगा।
III.	सशस्त्र बल तथा अर्ध सैनिक बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं)	उन माता–पिताओं के पुत्र(त्रों) तथा पुत्री (पुत्रियाँ) जिनमें से एक या दोनों सेना में मेजर या उससे उच्च पद पर अथवा जल सेना या वायु सेना अर्ध–सैनिक बलों में समकक्ष पद पर है अथवा हैं;
IV.	सम्पत्ति स्वामी कृषि जोत	किसी परिवार (पिता–माता और अवयस्क बालक) से सम्बन्धित व्यक्तियों के पुत्र(त्रों) और पुत्री (पुत्रियों) जिनके स्वामित्व में हरियाणा भूमि–जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 का 26) के अधीन अनुज्ञेय भूमि से अधिक भूमि का स्वामित्व है;
V.	आय मापदण्ड/सम्पदा मापदण्ड	छह लाख या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय रखने वाले अथवा अन्तिम तीन निरन्तर वर्षों की अवधि के लिए एक करोड़ रूपये से अधिक की सम्पदा रखने वाले माता–पिताओं के पुत्र(त्रों) और पुत्री (पुत्रियाँ) व्याख्याः– सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए जोड़ा जाएगा।

विनीत गर्ग,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियाँ तथा पिछले वर्ग कल्याण विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 17 नवम्बर, 2021.

HARYANA GOVERNMENT

WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT

Notification

The 17th November, 2021

No. 491-SW(1)-2021.— In exercise of the powers conferred under clause (d) of Section 2 and Sub-section (2) of Section 5 of the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (15 of 2016), and in supersession of the Haryana Government, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, notification No. 808-SW(1), dated the 17th August, 2016 and the Haryana Government, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, notification No. 1282-SW(1), dated the 28th August, 2018, the Governor of Haryana hereby specifies the following criteria for exclusion of persons within the Backward Classes as Creamy Layer as per Annexure appended hereto.

Annexure

DESCRIPTION OF CATEGORY		TO WHOM RULE OF EXCLUSION SHALL APPLY
1	2	3
I.	Constitutional Posts/Constitutional Personalities	Son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme Court and of the High Courts; (d) Chairman and Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller & Auditor General of India; (e) Persons holding Constitutional positions of like nature. (f) Member of Parliament or Member of Legislative Assembly.
II.	Service Category	Son(s) and daughter(s) of
	A. Group A and Group B/ Class 1 and II officers of the All India, Central and State Services.	(a) Parents, either or both of whom is or are a Class-I officer (Group A Officer) or Class II officer (Group B Officer);
	B. Employees in Public Sector Undertakings etc.	The criteria enumerated in A above in this Category shall apply mutatis mutandis to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance Organizations, Universities, etc. Pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in Category V below shall apply to the officers in these Institutions.
III.	Armed Forces including Para Military Forces (Persons holding civil posts are not included)	Son(s) and daughter(s) of Parents either or both of whom is or are in the rank of Major or above in the Army or to equivalent posts in the Navy or the Air Force or the Para Military Forces.
IV.	Property Owners Agricultural holdings	Son(s) and daughter(s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns land more than the land permissible under the Haryana ceiling on land Holdings Act, 1972 (26 of 1972).

DESCRIPTION OF CATEGORY		TO WHOM RULE OF EXCLUSION SHALL APPLY
1	2	3
V.	Income Test / Wealth Test	Son(s) and daughter(s) of parents Having gross annual income of Rs. 6 lakhs or above. OR Possessing wealth above Rs. 1 Crore for a period of last three consecutive years. Explanation: Income from all sources shall be clubbed to arrive at the gross annual income.

VINEET GARG,
Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

Chandigarh:
The 17th November, 2021.

9382—C.S.—H.G.P., Pkl.